

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या- 1081/30-4-13-4(3)/10

लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2013

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 176 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-777/30-4-2011-4(3)-2010, दिनांक 26.09.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली-2011 का प्रकाशन सरकारी गजट में कराया गया।

उक्त उ0प्र0 मोटरयान (ग्यारहवाँ संशोधन), नियमावली, 2011 के अंग्रेजी पाठ्य में :-

(1) प्रस्तर 3 में:-

(क) नियम 203A में:-

(एक) उपनियम (1) में, प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "investigating" एवं सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "proceeding" के स्थान पर क्रमशः "Investigating" एवं "Proceeding" समझा जाय।

(दो) उप नियम (3) में, प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "investigation" के स्थान पर "Investigating" समझा जाय।

(तीन) उप नियम (4) में प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "investigation," द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "along with" एवं पांचवी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "medico legal" के स्थान पर क्रमशः "investigation", "alongwith" व "medicolegal" समझा जाय।

(ख) नियम 203B में:-

(एक) उपनियम (1) में, प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "investigating" के स्थान पर "Investigating" समझा जाय।

(दो) उप नियम (2) के पांचवी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "vehicle" के स्थान पर "Vehicle" समझा जाय।

(तीन) उप नियम (3) में, तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "furnished" के स्थान पर "furnishes" समझा जाय।

(2) प्रस्तर (4) में:-

(क) स्तम्भ 2 में, नियम 204 के उप नियम (1) में, चौथी/पांचवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "claimed under section 163-A" के स्थान पर "claimed otherwise than under section 163-A" समझा जाए।

(ख) उप नियम (4) में, द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "there of" के स्थान पर "thereof," समझा जाए।

(3) प्रस्तर (5) में, नियम 204। में, उप नियम (3) में, चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "Investigation" के स्थान पर "Investigating" समझा जाए।

(4) प्रस्तर (6) में, स्तम्भ 2 में नियम 207A के शीर्षक "Creation of web-sites by the Insurance Companies;" के स्थान पर "Creation of Web-sites by the Insurance Companies-" पढ़ा जाए एवं इस नियम के पांचवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "the State" के स्थान पर "the States" समझा जाए।

(5) प्रस्तर (7) में, स्तम्भ 2 में-

(क) नियम 208 में, उप नियम (4) के परन्तुक में, तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "support of defence," के स्थान पर "support of their defence," पढ़ा जाए।

(ख) नियम 208A, उप नियम (1) में,

(एक) चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "the claim petition" के पश्चात कामा लगा हुआ न माना जाए।

(दो) छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "Conciliation," के स्थान पर "Conciliation." समझा जाए।

(तीन) परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "claims Tribunal" के स्थान पर " the Claims Tribunal" समझा जाए।

(6) प्रस्तर (8) में, स्तम्भ 2 में, नियम 210 में उप नियम (2) में, छठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "the witness" के स्थान पर "the witnesses" समझा जाए।

(7) प्रस्तर (9) में जोड़े गये नये नियम के प्रारम्भ एवं अन्त में दो-दो इनवर्टेड कामा लगा हुआ माना जाए।

(8) प्रस्तर (10) में स्तम्भ 2 में, नियम 212 में, उप नियम (2) में, प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "medico legal" एवं आठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "there of " के स्थान पर "medicolegal" व "thereof" समझा जाए।

(9) प्रस्तर (11) में-

(क) स्तम्भ 1 व स्तम्भ 2 में नियम 213 में, उप नियम (3) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "after local" के स्थान पर "after the local" समझा जाए।

(ख) उप नियम (4) में, सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "case. Whether" के स्थान पर "case, whether" समझा जाए।

(10) प्रस्तर 12 में-

(क) नियम 220A में-


(एक) शीर्षक "Determination of Compensation" के स्थान पर "Determination of compensation" समझा जाए।

(ख) उप नियम (2) के मद संख्या (एक) के द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "where" के स्थान पर "Where" समझा जाय तथा उप नियम (4) के मद संख्या (दो) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "Rs. 5000 to 10,000" के स्थान पर शब्द एवं अंक "Rs. 5,000 to 10,000" समझा जाय।

(ग) उप नियम (6) में "7%" के स्थान पर "7%," समझा जाए।

(11) प्रस्तर 13 में Form-SR-48A में क्रम संख्या 13 में प्रयुक्त शब्द "Permit etc." के स्थान पर "permit etc." समझा जाए।

आज्ञा से,


(बीएसओ मुल्तर)
प्रमुख सचिव।